प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति राधेश्याम शर्मा

दांडिक अपील क्रमांक 630 / 2004

राजेश कुमार

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिनांक 08-10-2012 को निर्णय हेतु सूचीबद्ध करे।

हस्ताक्षरित/-

(आर.एस. शर्मा)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर</u>

<u>एकल पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति राधेश्याम शर्मा</u>

<u>दांडिक अपील क्रमांक 630 / 2004</u>

अपीलार्थी राजेश कुमार पिता पूनाराम निषाद

आयु लगभग 23 वर्ष निवासी ग्राम

सिल्ली थाना धमधा जिला दुर्ग (छ.ग.)

बनाम

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य

उपस्थित :

श्री एन.एस. धुरंधर, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

श्री विनय हरित, उप महाधिवक्ता सह श्री आर.आर.सिन्हा, राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से पैनल अधिवक्ता।

<u>दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अंतर्गत दांडिक अपील।</u>

<u>निर्णय</u>

(दिनांक 8 अक्टूबर 2012 को सुनाया गया)

यह अपील दिनांक 22-7-2004 को सत्र न्यायाधीश दुर्ग द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 169/2003 में पारित निर्णय के विरुद्ध दायर की गई है। उक्त निर्णय द्वारा अपीलकर्ता/अभियुक्त राजेश कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत दोषसिद्ध कर 3 वर्ष का कठोर कारावास तथा 50 रुपये का जुर्माना तथा जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त 3 माह का कठोर कारावास दिया गया। सत्र न्यायाधीश ने सह-

अभियुक्तगण श्रीमती शांति बाई, श्रीमती गोदावरी बाई तथा श्रीमती रूपा बाई को आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।

2. अभियोजन का संक्षिप्त कथन इस प्रकार है :-

दिनांक 3-5-2002 को मृतका कु. रामला पानी डालने हेतु कोठा (वह स्थान जहाँ पालतू जानवर रखे जाते हैं) गई थी। उसी समय अपीलार्थी कोठा में प्रवेश कर मृतका का हाथ पकड़ लिया। जीवनलाल (अभियोजन साक्षी-2) ने उनको देखा। ग्राम पंचायत बुलाई गई। अपीलार्थी को चेतावनी दी गई कि वह गाँव में पुनः ऐसा हरकत न करे। पंचायत ने अपीलार्थी को गाँव छोड़ने के लिए कहा, किन्तु अपीलार्थी ने गाँव नहीं छोड़ा। फलस्वरूप, दिनांक 6-5-2002 को बद्रीनाथ (अभियोजन साक्षी-1, मृतका का पिता) ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई। दिनांक 8-5-2002 को पुलिस ने अपीलार्थी को गिरफ्तार किया। तत्पश्चात् उसी दिन न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को जमानत पर रिहा कर दिया गया। अपीलार्थी अन्य सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर मृतका का विवाह न करने की बात कहता था और उसे जबरन लाने की धमकी देता था। अपीलार्थी ने पटाखे फोड़े और गाँव में वीडियो दिखाया क्योंकि उसे उसी दिन जमानत पर रिहा किया गया था। मृतका को देखकर सह- अभियुक्तगण श्रीमती शांति बाई और श्रीमती गोदावरी बाई ने गाली-गलौज की और मृतका को जबरन ले जाने की धमकी दी, जिसके परिणामस्वरूप मृतका ने दिनांक 10-5-2002 को विष सेवन कर आत्महत्या कर ली। बद्रीनाथ (अभियोजन साक्षी-1, मृतका का पिता) ने थाना धमधा में मर्ग सूचना (प्रदर्श पी-1) दर्ज कराई। विवेचक घटना स्थल पर पहुँचा और पंचों को नोटिस (प्रदर्श पी-2) दिया तथा मृतका के शव का मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन तैयार किया। प्रदर्श पी-4 द्वारा मृतका का शव प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धमधा शव परीक्षण हेतु भेजा गया। डॉ. बी.एन. देवांगन ने मृतिक के शव

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

का शव परीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट दी कि मृतका की मृत्यु कीटनाशक विषाक्तत के कारण उत्पन्न श्वासारोध एवं हृदय-श्वसन बंद होने से हुई।

आगे की विवेचना में प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-3) थाना धमधा में दर्ज की गई। प्रदर्श पी-6 द्वारा सीलबंद जार एवं नमूना जब्त किया गया। जब्त सामग्री रासायनिक परीक्षण हेतु विधिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर प्रदर्श पी-7 द्वारा भेजी गई। एफ.एस.एल. रिपोर्ट (प्रदर्श पी-9) प्रदर्श पी-8 द्वारा प्राप्त हुई। प्रदर्श पी-9 में पाया गया कि सामग्री ए और बी में डाइक्लोरोवास (ऑर्गेनो फॉस्फोरस) कीटनाशक था।

विवेचना पूर्ण होने पर अभियुक्त/अपीलार्थी तथा दोषमुक्त किये गये सह-अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसने प्रकरण को सत्र न्यायाधीश, दुर्ग के न्यायालय में विचारण हेतु उपार्पित किया, जिसने विचारण किया और अपीलकर्ता/अभियुक्त को उपर्युक्त अनुसार दोषसिद्ध कर दंडित किया तथा सह- अभियुक्तगण श्रीमती शांति बाई, श्रीमती गोदावरी बाई एवं श्रीमती रूपा बाई को आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3. श्री एन.एस. धुरंधर, अपीलार्थी के अधिवक्ता, ने तर्क दिया कि बद्रीनाथ (अभियोजन साक्षी-1) और जीवनलाल (अभियोजन साक्षी-2) मृतका के क्रमश: पिता और भाई हैं, अतः वे अत्यधिक हितबध्य गवाह हैं। अभियोजन यह सिद्ध करने में असफल रहा कि मृतका को अपीलार्थी ने दुष्प्रेरित या उकसाया था। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह संकेत मिले कि अपीलार्थी ने मृतका को दुष्प्रेरित या उकसाया था। यह भी सिद्ध नहीं हुआ कि अपीलार्थी के दुष्प्रेरणा या उकसावे के कारण मृतका ने आत्महत्या की। इस संबंध में साक्ष्य पूर्णतः अपर्याप्त है जिससे अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जा सके। अभियोजन धारा 107 और 306 भारतीय दंड संहिता की आवश्यकताओं को सिद्ध करने में पूर्णतः विफल रहा

है। अतः अपीलार्थी आरोप से दोषमुक्त किए जाने योग्य है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने **निहालुद्दीन उर्फ मुन्ना बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 2012 (2) CGLT 222** तथा **दीपक बनाम मध्यप्रदेश राज्य 1994 क्रि. ला. ज. 767** पर भरोसा किया।

4. दूसरी ओर, श्री विनय हरित, उप महाधिवक्ता सह श्री आर.आर. सिन्हा, राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से पैनल अधिवक्ता, ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी को दी गई दोषसिद्धि और दंड इस न्यायालय द्वारा किसी प्रकार के हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं।

5. मैंने पक्षकारों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनीं और सत्र प्रकरण क्रमांक 169/2003 के अभिलेख का परिशीलन भी किया। अपीलार्थी की भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत दोषसिद्धि बद्रीनाथ (अभियोजन साक्षी-1), जीवनलाल (अभियोजन साक्षी-2), गिरवर पटेल (अभियोजन साक्षी-3) और मदनलाल (अभियोजन साक्षी-7) के साक्ष्य पर आधारित है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

6. एस. मोहन बनाम राज्य द्वारा डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट ऑफ पुलिस द्वारा प्रतिनिधित्वित, एआईआर 2011 एससी 1238 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित कहा:

> "40. 'किसी बात का दुष्प्रेरण को संहिता की धारा 107 में परिभाषित किया गया है। हम उचित समझते हैं कि धारा 107 को पुन: प्रस्तुत किया जाए, जो इस प्रकार है:
>
> > "107. किसी बात का दुष्प्रेरण – कोई व्यक्ति किसी वस्तु का दुष्प्रेरण करता है, जो –
> >
> > प्रथम – किसी व्यक्ति को वह कार्य करने के लिए दुष्प्रेरण है; या
> >
> > द्वितीय – एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ उस कार्य को करने के लिए किसी षड्यंत्र में संलग्न होता है, यदि उस

षड्यंत्र के अनुसरण में कोई कार्य या अवैध लोप होती है, और उस कार्य को करने के लिए; या

तृतीय – किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा जानबूझकर उस कार्य में सहायता करता है।

स्पष्टीकरण 2 जो धारा 107 के साथ जोड़ा गया है, इस प्रकार है:

"स्पष्टीकरण 2 – जो कोई भी, किसी कार्य के संपादन से पूर्व या उस समय, उस कार्य के संपादन को सुकर बनाने के लिए कुछ करता है, और इस प्रकार उसके संपादन को सुकर बनाता है, उसे उस कार्य को करने में सहायता करने वाला कहा जाता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

41. विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के अन्य निर्णय रमेश कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य , (2001) 9 एससीसी 618 : (एआईआर 2001 एससी 3837) पर भी भरोसा किया, जिसमें तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने इसी प्रकार के मामले पर विचार किया। पति-पत्नी के विवाद में, अपीलकर्ता-पति ने कहा "तुम स्वतंत्र हो जो चाहो करो और जहाँ चाहो जाओ"। इसके बाद पत्नी ने आत्महत्या कर ली। इस न्यायालय ने कंडिका 20 में 'उकसावे' के विभिन्न अर्थों की व्याख्या की। कंडिका 20 इस प्रकार है:

"20. उकसावा का अर्थ है प्रेरित करना, आगे बढ़ाना, भड़काना, उकसाना या किसी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित करना। उकसावे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वास्तविक शब्दों का प्रयोग किया जाए, या जो उकसावा है वह परिणाम का संकेत अवश्य दे। फिर भी परिणाम को उकसाने की उचित निश्चितता स्पष्ट होनी चाहिए। वर्तमान मामला ऐसा नहीं है

जहाँ अपीलार्थी ने अपने कार्यों या लोप या निरंतर आचरण द्वारा ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न की हों कि मृतक के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प न रहा हो, जिसमें उकसावे का अनुमान लगाया जा सकता था। क्रोध या भावनाओं में कहे गए शब्द, बिना परिणाम की वास्तविक इच्छा के, उकसावा नहीं कहे जा सकते।"

42. इस मामले में न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अभिलेक पर कोई ऐसा साक्ष्य या सामग्री उपलब्ध नहीं है जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि अपीलकर्ता/अपीलार्थी ने अपनी पत्नी सीमा को आत्महत्या करने के लिए उकसाया।

43. पश्चिम बंगाल राज्य बनाम ओरिलाल जायसवाल एवं अन्य (1994) 1 एससीसी 73 : (एआईआर 1994 एससी 1418) में इस न्यायालय ने चेतावनी दी कि न्यायालय को प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का अत्यंत सावधानी से मूल्यांकन करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि क्या पीड़िता को दी गई क्रूरता ने वास्तव में उसे आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया। यदि यह प्रतीत होता है कि आत्महत्या करने वाली पीड़िता साधारण झगड़े, असहमति और घरेलू जीवन के मतभेदों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील थी, जो समाज में सामान्य हैं, और ऐसे मतभेद किसी समान परिस्थिति वाले व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते, न्यायालय का विवेक इस बात का निष्कर्ष निकालने हेतु संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि आत्महत्या के दुष्प्रेरण के अपराध में अपीलार्थी को दोषी ठहराया जाए।

44. इस न्यायालय ने चित्रेश कुमार चोपड़ा बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार), 2009 (16) एससीसी 605 में दुष्प्रेरण पहलू पर विचार करने का अवसर पाया। न्यायालय ने 'उकसावा' और 'प्रेरणा' शब्दों के

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

शब्दकोशीय अर्थ पर विचार किया। न्यायालय ने कहा कि किसी कार्य को करने के लिए उकसाने, भड़काने या प्रोत्साहित करने का इरादा होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का आत्महत्या करने का तरीका अलग होता है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी आत्म-सम्मान और आत्म-गौरव की धारणा होती है। इसलिए ऐसे मामलों में कोई अनम्यसूत्र बनाना असंभव है । प्रत्येक मामले का निर्णय उसके अपने तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर होना चाहिए।

45. दुष्प्रेरण एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति को उकसाना या जानबूझकर किसी कार्य को करने में सहायता करना शामिल है। अपीलार्थी की ओर से आत्महत्या करने के लिए उकसाने या सहायता करने का कोई सकारात्मक कार्य न होने पर दोषसिद्धि स्थिर नहीं राखी जा सकती।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

46. विधायिका का उद्देश्य और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों का अनुपात स्पष्ट है कि भारतीय दण्ड सहिता की धारा 306 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए स्पष्ट आपराधिक मनःस्थिति होना आवश्यक है। इसके लिए एक सक्रिय या प्रत्यक्ष कार्य आवश्यक है जिसने मृतक को आत्महत्या करने के लिए इस स्थिति में पहुँचा दिया कि उसके पास कोई विकल्प न रहा, और यह कार्य मृतक को ऐसी स्थिति में धकेलने के उद्देश्य से किया गया होना चाहिए कि उसने आत्महत्या कर ली।"

7. **निहालुद्दीन उर्फ मुन्ना बनाम छत्तीसगढ़ राज्य** (पूर्वोक्त) में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने अवलोकित किया:

"11. संजू उर्फ संजय सिंह सेंगर बनाम मध्यप्रदेश राज्य, (2002) 5 एससीसी 371 में मृतक ने दिनाँक 27-7-1998 को आत्महत्या कर ली, जबकि कथित झगड़ा दिनाँक 25-7-1998 को हुआ था जब यह आरोप था कि अपीलार्थी ने

गाली-गलौज की और मृतक से कहा कि जा और मर जा। सर्वोच्च न्यायालय ने इन परिस्थितियों में अभिनिर्धारित किया कि मृतक द्वारा दिनाँक 27-7-1998 को आत्महत्या करना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह दिनाँक 25-7-1998 को हुए झगड़े का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं था जब यह आरोप था कि अपीलार्थी ने गाली दी और मृतक से कहा कि जा और मर जा।

13. भा. द. स. की उपरोक्त धाराओं और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों मे प्रतिपादित सिद्धांत को पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि भारतीय दण्ड सहिता की धारा 306 के मामले में अपराध करने का स्पष्ट आपराधिक मनःस्थिति होना चाहिए और अपीलार्थी द्वारा कोई प्रत्यक्ष या सक्रिय कार्य होना चाहिए जिसने मृतक को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया हो। अर्थात् अपीलार्थी द्वारा "उकसावा", "सहयोग" या "प्रारंभिक सहायता" का कोई साक्ष्य होना चाहिए जिससे मृतक/पीड़ित आत्महत्या करता।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

8. **गंगुला मोहन रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2010) 1 एससीसी 750** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवलोकित किया: d

"10. ' दुष्प्रेरण' को संहिता की धारा 107 में परिभाषित किया गया है। हम उचित समझते हैं कि धारा 107 को पुनः प्रस्तुत किया जाए, जो इस प्रकार है:

107. किसी बात का दुष्प्रेरण – कोई व्यक्ति किसी बात का दुष्प्रेरण करता है, जो –

प्रथम – किसी व्यक्ति को वह कार्य करने के लिए दुष्प्रेरण है; या

द्वितीय – एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ उस कार्य को करने के लिए किसी षड्यंत्र में संलग्न होता है, यदि उस षड्यंत्र के

अनुसरण में कोई कार्य या अवैध लोप होती है, और उस कार्य को करने के लिए; या

तृतीय – किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा जानबूझकर उस कार्य में सहायता करता है।

स्पष्टीकरण 2 जो धारा 107 के साथ जोड़ा गया है, इस प्रकार है:

"स्पष्टीकरण 2 – जो कोई भी, किसी कार्य के संपादन से पूर्व या उस समय, उस कार्य के संपादन को सुकर बनाने के लिए कुछ करता है, और इस प्रकार उसके संपादन को सुकर बनाता है, उसे उस कार्य को करने में सहायता करने वाला कहा जाता है।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

11. **अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने महेंद्र सिंह बनाम मध्यप्रदेश शासन, 1995 सपली. (3) एस.सी.सी. 731** पर भरोसा किया। महेंद्र सिंह में लगाए गए आरोप इस प्रकार थे: (एस.सी.सी. पृष्ठ 731, कंडिक 1)

"1. ... मेरी सास और पति तथा जेठानी (पति के बड़े भाई की पत्नी) मुझे परेशान करते हैं। वे मुझे मारते-पीटते और गाली देते हैं। मेरा पति महेंद्र दूसरा विवाह करना चाहता है। उसका मेरी जेठानी के साथ अवैध संबंध है। इन कारणों से और प्रताड़ित होने के कारण मैं जलकर मरना चाहती हूँ।"

न्यायालय ने उपरोक्त आरोपों पर निश्चित निष्कर्ष निकाला कि मृतका के कथन से किसी भी प्रकार से दुष्प्रेरण के तत्व सिद्ध नहीं होते। अपीलार्थी के अनुसार, मृतका द्वारा लगाए गए प्रताड़ना के आरोपों के आधार पर भारतीय दण्ड सहिता की धारा 306 के अंतर्गत दोषसिद्धि स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

12. विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के अन्य निर्णय **रमेश कुमार बनाम छत्तीसगढ़ शासन, (2001) 9 एससीसी 618** पर भी भरोसा किया। तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने इसी प्रकार के मामले पर विचार किया। पति-पत्नी के विवाद में, अपीलकर्ता-पति ने कहा "तुम स्वतंत्र हो जो चाहो करो और जहाँ चाहो जाओ"। इसके बाद पत्नी ने आत्महत्या कर ली। इस न्यायालय ने कंडिक 20 में 'उकसावे' के विभिन्न अर्थों की व्याख्या की। कंडिक 20 इस प्रकार है:

> "20. उकसावा का अर्थ है प्रेरित करना, आगे बढ़ाना, भड़काना, उकसाना या किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करना। उकसावे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वास्तविक शब्दों का प्रयोग किया जाए, या जो उकसावा है वह परिणाम का संकेत अवश्य दे। फिर भी परिणाम को उकसाने की उचित निश्चितता स्पष्ट होनी चाहिए। वर्तमान मामला ऐसा नहीं है जहाँ अभियुक्त ने अपने कार्यों या लोप या निरंतर आचरण द्वारा ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न की हों कि मृतक के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प न रहा हो, जिसमें उकसावे का अनुमान लगाया जा सकता था। क्रोध या भावनाओं में कहे गए शब्द, बिना परिणाम की वास्तविक इच्छा के, उकसावा नहीं कहे जा सकते।"

9. बद्रीनाथ (अभियोजन साक्षी-1) ने कहा कि रामाला (मृतका) उसकी पुत्री थी। उसने आगे कहा कि दिनाँक 3-5-2002 को मृतका पानी डालने के लिए कोठा गई थी। अपीलार्थी कोठा में घुसा और मृतका का हाथ पकड़कर उसका मुँह दबा दिया। जीवनलाल (अभियोजन साक्षी-2) ने कहा कि मृतका उसकी बहन थी और नंदनी बाई

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उसकी पत्नी है। उसने आगे कहा कि नंदनी बाई ने उसे बताया कि कोई कोठा में घुसा है। तब वह कोठा गया और देखा कि अपीलार्थी उसकी बहन रामाला को पकड़े हुए था। उसने अपीलार्थी को थप्पड़ मारा। अपीलार्थी वहाँ से भाग गया। उसने आगे कहा कि उसने यह घटना अपने पिता को बताई। लक्ष्मण (अभियोजन साक्षी-6) और मदनलाल (अभियोजन साक्षी-7) ने कहा कि जीवनलाल (अभियोजन साक्षी-2) ने उन्हें यह घटना सुनाई।

10. बद्रीनाथ (अभियोजन साक्षी-1), जीवनलाल (अभियोजन साक्षी-2), गिरवर पटेल (अभियोजन साक्षी-3), मदनलाल (अभियोजन साक्षी-7) ने यह बयान दिया कि गाँव में पंचायत हुई थी। पंचायत में पंचों ने अपीलार्थी को गाँव छोड़ने के लिए कहा, किन्तु अपीलार्थी ने गाँव नहीं छोड़ा। बद्रीनाथ (अभियोजन साक्षी-1) ने यह भी कहा कि उसने थाना धमधा में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस अधिकारी जाँच हेतु गाँव पहुँचे, किन्तु अपीलार्थी गाँव में उपस्थित नहीं था। अपीलार्थी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और बाद में न्यायालय ने उसी दिन उसे जमानत पर रिहा कर दिया। अपीलार्थी तथा दोषमुक्त किये गये सह-अभियुक्तगण ने पटाखे फोड़े और गाँव में वीडियो दिखाया क्योंकि अपीलार्थी उसी दिन जमानत पर रिहा हुआ था। अपीलार्थी ने इस संबंध में दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया। परिणामस्वरूप, मृतका ने दिनाँक 10-5-2002 को विष का सेवन कर आत्महत्या कर ली।

11. जीवनलाल (अभियोजन साक्षी-2) ने कहा कि मृतका ने पहली घटना के 7-8 दिन बाद आत्महत्या की। गिरवर पटेल (अभियोजन साक्षी-3) ने भी कहा कि अपीलार्थी ने पटाखे फोड़े और गाँव में वीडियो दिखाया क्योंकि अपीलार्थी जमानत पर रिहा हुआ था।

12. **दीपक बनाम मध्यप्रदेश राज्य** (पूर्वोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवलोकित किया:

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

"9. निर्णय हेतु प्रथम प्रश्न यह है कि क्या दोनों अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत दोषी ठहराया जा सकता है। दंड संहिता की धारा 107 में दुष्प्रेरण की परिभाषा दी गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर क्या यह कहा जा सकता है कि दोनों अभियुक्तों ने किसी प्रकार मृतका को 'उकसाया, षड्यंत्र में 'सम्मिलित' हुए या आत्महत्या करने में जानबूझकर 'सहायता'की। जैसा कि मृतका के तीन मृत्यु-कालिक से प्रकट होता है, दोनों अभियुक्तगण देर रात्रि उसके कक्ष में प्रवेश कर स्थिति का लाभ उठाकर उसके विरुद्ध लैंगिक संभोग करने का प्रयास किए। अभियुक्तों का यह कृत्य मृतका को आत्महत्या के लिए प्रेरित कर सकता था या नहीं भी कर सकता था। प्रस्तुत तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त यह नहीं सोच सकते थे कि उनका ऐसा आचरण, यद्यपि गंभीर अपराध था, मृतका को आत्महत्या के लिए बाध्य करेगा। मृतका ने अपने मृत्यु कालिक कथनों में स्वीकार किया कि उसकी अस्मिता भंग होने की घटना के तुरंत बाद नहीं, बल्कि लगभग एक घंटे बाद उसने स्वयं को आग लगा ली। अतः यह वह स्थिति नहीं है जिसमें अभियुक्तों को आत्महत्या के लिए 'दुष्प्रेरक'कहा जा सके। यह कोई विवाहित स्त्री का मामला नहीं है, जिसे निरंतर यातना दी गई हो और उसने जीवन समाप्त कर लिया हो। ऐसे मामले में साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-अ के अंतर्गत कोई उप-धारणा नहीं की जा सकती। यहाँ एक स्त्री की अस्मिता भंग हुई जबकि वह अपने

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

परपुरुष के साथ थी। अभियुक्तगण की ओर से न तो कोई 'आशय'था और न ही कोई 'सकारात्मक कृत्य'जिससे मृतका आत्महत्या करती। अतः दोनों अभियुक्तगण भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराए जा सकते और इस आधार पर उनका दोषसिद्धि आदेश, जो विचारण न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, आपस्त किए जाने योग्य है।"

13. वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी बद्रीनाथ (अभियोजन साक्षी-1) के कोठा में प्रवेश कर मृतका के हाथ पकड़ लिया। जीवनलाल (अभियोजन साक्षी-2) ने कहा कि मृतका उसकी बहन थी और नंदनी बाई उसकी पत्नी है। उसने आगे कहा कि नंदनी बाई ने उसे बताया कि कोई व्यक्ति कोठा में गया है। तब वह कोठा में गया और देखा कि अपीलार्थी उसकी बहन रामला को पकड़ रहा था। उसने अपीलार्थी को थप्पड़ मारा और अभियुक्त वहाँ से भाग गया। ऐसा प्रतीत होता है कि जब जीवनलाल (अभियोजन साक्षी-2) कोठा में गया तो उसने अपीलार्थी और मृतका दोनों को कोठा में देखा। जीवनलाल (अभियोजन साक्षी-2) के बयान से यह भी स्पष्ट होता है कि कोठा अंदर से बंद था और जीवनलाल (अभियोजन साक्षी-2) दीवार फाँदकर कोठा में प्रवेश किया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

14. अपीलार्थी ने दिनाँक 3-5-2002 को कोठा में प्रवेश किया। गाँव में पंचायत हुई और पंचायत ने अभियुक्त को गाँव सिली छोड़ने का निर्देश दिया, किन्तु अभियुक्त ने गाँव नहीं छोड़ा। तत्पश्चात् बद्रीनाथ (अभियोजन साक्षी-1, मृतका के पिता) ने अपीलार्थी के विरुद्ध थाना धमधा में रिपोर्ट दर्ज कराई। अपीलार्थी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया। इसके पश्चात् दिनाँक 10-5-2002 को मृतका ने विष का सेवन कर आत्महत्या कर ली।

15. अभियोजन साक्षियों के बयान को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी की ओर से मृतका को आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने अथवा सहायता करने का न तो कोई आशय था और न ही कोई सकारात्मक कृत्य। पहली घटना दिनाँक 3-5-2002 को हुई थी और मृतका ने दिनाँक 10-5-2002 को आत्महत्या की, अर्थात् 7 दिन बाद। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलार्थी मृतका द्वारा की गई आत्महत्या का दुष्प्रेरक था।

16. दुष्प्रेरण एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति को उकसाना अथवा जानबूझकर किसी कार्य को करने में सहायता करना सम्मिलित है। अपीलार्थी की ओर से मृतका को आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने अथवा सहायता करने का कोई सकारात्मक कृत्य न होने पर दोषसिद्धि स्थिर रखी जा सकती है। विधायिका का अभिप्राय तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के अनुपात से स्पष्ट है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध करने हेतु स्पष्ट आपराधिक मनःस्थिति होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कोई सक्रिय अथवा प्रत्यक्ष कृत्य होना चाहिए जिससे मृतका को आत्महत्या करने के अतिरिक्त कोई विकल्प न दिखे और वह कृत्य इस उद्देश्य से किया गया हो कि मृतका को ऐसी स्थिति में धकेला जाए जहाँ उसे आत्महत्या करनी पड़े।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

17. वर्तमान मामले में मृतका ने पहली घटना के 7 दिन बाद आत्महत्या की। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलार्थी ने मृतका को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया। इसलिए उपर्युक्त स्थापित विधिक स्थिति के आलोक में अपीलार्थी की धारा 306 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्धि स्थिर नहीं रखी जा सकती। विद्वान विचरण न्यायाधीश ने अपीलार्थी को दोषसिद्ध और दंडित करने में त्रुटि की है।

18. उपर्युक्त कारणों से अपील स्वीकृत की जाती है। दोषसिद्धि और दंडादेश का आक्षेपित निर्णय अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी को धारा 306 भारतीय दंड संहिता

के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थी जमानत पर है। उसकी जमानत बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं और प्रतिभू उन्मोचित किए जाते हैं।

हस्ताक्षरित/-

(आर.एस. शर्मा)

न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By:- Miss Anjali Singh Chouhan (Advocate)

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur